न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **40/2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री वरूणदेव दाधीच एडवोकेट न्यायालय परिसर गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा **बनाम** सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हुरड़ा

—अपीलार्थी —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 06/06/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हुरड़ा के विरूद्ध दिनांक 09.05.2018 को अपील जरिये डाक प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 11/02/2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 40 एफ 924707 संलग्न कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हुरड़ा से सूचना चाही गई परन्तु नियत समय सीमा व्यतीत हो जाने पर भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.02.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ संलग्न कर जरिये डाक प्राप्त हुई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 18/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हुरड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। अपीलार्थी नियत दिनांक 30.05.2018 को उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सूचना का अधिकार/ 2018/ 48 दिनांक 28.05.2018 से अपीलार्थी के आवेदन में अंकित सूचना के सम्बन्ध में अपीलार्थी को प्रेषित सूचना पत्र पत्रांक/सूचना का अधिकार/ 2018/ 2300 दिनांक 17.05.2018 की प्रति संलग्न कर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा जो सूचना चाही वह कार्यालय रिकॉर्ड में (सुल्तानपुरा पटवार मण्डल) में उपलब्ध नहीं होना बताने की सूचना भिजवाते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हमने प्रत्यर्थी को सुना तथा प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी की अपील के साथ संलग्न आवेदन में अंकित सूचना अनुसार ग्राम सुल्तानपुरा त0 हुरड़ा के खसरा संख्या 1349/104 रकबा 5–05 बीघा का मौका पर्चा रिपोर्ट हल्का पटवारी बीरमदेव खटीक ने वर्ष 2017 में पेश की उसकी प्रति चाही गई। प्रथम तो यह स्पष्ट नहीं किया कि पर्चामौका किस उद्देश्य से व किस प्रकरण में तैयार किया गया। क्या किसी न्यायालय आदेश की पालना में पर्चामौका तैयार किया रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। पर्चामौका किस दिनांक को तैयार किया वह भी आवेदन में अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी के द्वारा सम्बन्धित पटवार हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित पर्चामौका उनके पटवार घर पर एवं चार्जसूची में उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में रिपौर्ट दी गई जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपने पत्रांक/सूचना का अधिकार/2018/2300 दिनांक 17.05.2018 से सूचना भिजवाई जिसकी प्रति प्रत्युत्तर पत्रांक सूचना का अधिकार/2018/48 दिनांक 28.05.2018 के साथ संलग्न कर भिजवाई है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं होने से नहीं दिए जाने की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करादी जाने से अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। अतएव–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हुरड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 06/06/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा